दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम [illegible] अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुद्दई प्रतिवादी संख्या 1 से 44 हाजरी श्री शिवप्रकाश मिश्रा, शिवकुमार पारासर व प्रतिवादी संख्या 45 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल के प्राप्त 4553 जरिये दिनांक 30.11.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामुराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 256 रकबा 23.16 बीघा में से 3.19 बीघा नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 721 रकबा 18.15 बीघा में से 4.14 बीघा नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 519 रकबा 7.08 बीघा में से 1.05 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 भैरूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 756 रकबा 18.03 बीघा में से 10.17 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. वादी संख्या 3 रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 721 रकबा 18.15 बीघा में से 4.14 बीघा नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 519 रकबा 7.08 बीघा में से 1.08 बीघा नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 256 रकबा 23.16 बीघा में से 3.13 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. वादी संख्या 4 बंशीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 518 में से रकबा 1.08 बीघा व खसरा नंबर 519 में से रकबा 1.02 बीघा नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 256 रकबा 23.16 बीघा में से 7.19 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. वादी संख्या 5 से 9 क्रमश राजुराम , समसुदीन, जीतुराम, सखी खां पुत्रगण जगदीश, कमला पत्नी जगदीश के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 756 रकबा 18.03 बीघा में से 7.08 बीघा नजरीनक्शानुसार व खसरा नंबर 519 रकबा 7.08 बीघा में से 3.05 बीघा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 10 से 12 मेहबूब अफजल पुत्रगण मंगलुखां, सोनी पत्नी मंगलु खां के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 256 रकबा 23.16 बीघा में से 8 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
7. वादी संख्या 13 इन्द्र खां के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर वादी संख्या 13 इन्द्र खां के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर नजरीनक्शानुसार रखा गया है। 752 रकबा 17 बीघा में से 8.10 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

752 रकबा 17 बीघा में से 8.10 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है। मौजा गौराउ का खेत खसरा

8. प्रतिवादी संख्या 1 मुन्नीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 519 रकबा 7.08 बीघा में से 0.08 बीघा नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 721 रकबा 18.15 बीघा में से 9.07 बीघा नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
9. प्रतिवादी संख्या 2 नसीर पुत्र जसंवत खां के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गौराउ का खेत खसरा नंबर 752 रकबा 17 बीघा में से 8.10 बीघा भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

[illegible]
[illegible] (हि.से.) जायल

10. शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 से 14 के हक बंट में रखी गई है।

नोट–

1. **संबंधित शेष प्रतिवादीगण का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**
2. **यदि बैंक के विवादग्रस्त खसरान् रहन हो तो संबंधित बैंक को सूचित हो।**

निर्णय आज दिनांक 20/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

20/12/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner